महेन्द्र / छुट्टमानंद

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
23.11.21	कार्यालय प्रतिवेदन का अवलोकन किया / अपील Subject to limitation दर्ज की जावे / अपील के साथ संलग्न प्रा.पत्र बाबत स्थगन पर वकील अपीलांट को सुना गया / पत्रावली का अवलोकन किया / पत्रावली का अवलोकन से सिद्ध है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 577 रकबा 1.12 हे० वाके ग्राम मोठूका तहसील बानसूर जिला अलवर के पर सभी पक्षकारान उपकृषक है / जिसमें अपीलांट महेन्द्र पुत्र रामप्रसाद का $\frac{1}{16}$ भाग पर कब्जा है / परन्तु तहत अदालत ने अपीलांट को बिना सुने ही अपीलाधीन आदेश दि. 4.11.2020 द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया, जो कि विधिसम्मत नहीं है, क्यों कि यह कानून का सुस्थापित सिद्धान्त है कि विपक्षी को सुनकर ही कोई निर्णय पारित किया जावे / यहां यह भी गौरतलब है कि CPC के आदेश 39 नियम 3 (क) में प्रावधान है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रा० पत्र का निस्तारण 30 दिवस में किया जावे, परन्तु तहत अदालत ने उक्त प्रावधानों की भी अनदेखी की है / दि. 4.11.20 से विचाराधीन उक्त प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T. एक्ट अभी तक विचाराधीन है / ऐसी स्थिति में हम CPC में दी गई समयावधि में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रा. पत्र का निस्तारण करने हेतु तहत अदालत को आदेशित किया जाना न्यायोचित समझते हैं / अतः आदेश है कि अपील इसी स्तर पर	

— लगातार —

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	आंशिक रूप से स्वीकार कर तहत अदालत को आदेशित किया जाता है कि वो उनके वहां लम्बित प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T. एक्ट में अप्रार्थी को सुनकर CPC के आदेश 39 नियम 3 (क) में दी गई समयावधि 30 दिवस के अन्दर उक्त प्रा. पत्र का निस्तारण करें / तब तक तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दि. 4.11.2020 का प्रचलन स्थगित किया जाता है / अपीलांट वास्ते सुनवाई तहत अदालत में नियत दिनांक को उपस्थित हो / इस निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवाई जावे / निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया / पत्रावली कैसल शुमार हो /

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर